अपील क्रमांक 176/बो.प्र./नि.स./2022
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /09/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 176/बो.प्र./नि.स./2022

अपीलार्थी		उत्तरवादी
श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.–4 सांई मंगलम के पास विद्युत नगर, दुर्ग (छ.ग.) मो.नं. 9406008826	विरूद्ध	श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी,कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 12.09.2022

1 अपीलार्थी श्री डी.आर. यादव अनुपस्थित।,
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेपः–

(i) आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र क्रं. 47, दिनांक 20.06.2022 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री आर.के. धृतलहरे पूर्व विद्युत/यांत्रिकी, उप अभियंता द्वारा विद्युत/यांत्रिकी, उप अभियंता रहते हुए इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि प्राप्त की, सत्यापित छायाप्रति एवं स्नातक डिग्री के लिए परमिशन एवं परीक्षा देने के लिए अवकाश आवेदन की सत्यापित प्रति की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया, जिसका इस कार्यालय का आवक क्रं. 1050 दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ।

(ii) जनसूचना अधिकारी ने पृ. पत्र क्रमांक 6778, दिनांक 14.07.2022 द्वारा अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, भारी संयत्र संभाग, महानदी जलाशय परियोजना रूद्री, जिला धमतरी की ओर प्रकरण हस्तांतरित किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा भ्रामक एवं सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन (क्रं.–61) प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 18.08.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया, किन्तु आवेदक/अपीलार्थी दिनांक 02.09.2022 को सुनवाई में अनुपस्थित रहा। आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण उन्हें एक अवसर दिया जाकर अगली सुनवाई दिनांक 12.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें दी गई।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 12.09.2022 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ। स्थापना शाखा से प्राप्त (नोटशीट) अंकित टीप अनुसार आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, भारी संयत्र संभाग, महानदी जलाशय परियोजना रूद्री, जिला धमतरी की ओर प्रकरण हस्तांतरित कर वांछित जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं पृ. पत्र क्रमांक 6778, दिनांक 14.07.2022 द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को भी पंजीकृत डाक से सूचित किया गया।

5. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियम अवधि से पूर्व आवेदक/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।

(ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया गया था कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया गया एवं पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को सूचित किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जानकारी नहीं देने संबंधी अपील की जो दिनांक 18.08.2022 को प्राप्त हुई। प्रथम सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। द्वितीय सुनवाई दिनांक 12.09.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।

6. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। चूँकि प्रकरण संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया गया है। अतः अपीलार्थी को उसी कार्यालय में अपील प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा वहां अपील प्रस्तुत न कर इस कार्यालय में अपील प्रस्तुत किया गया। आवेदक/अपीलार्थी ने इस कार्यालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसकी सुनवाई निर्धारित करते हुए अपीलार्थी को सूचना दी गई, किन्तु अपीलार्थी द्वारा दोनों सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील निरस्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते है।

सही/-

(वीरेन्द्र तिवारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./176/बो.प्र./नि.स./2022/ 8169 **रायपुर, दिनांक** 13**/09/2022**

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.–4 सांई मंगलम के पास विद्युत नगर, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र तिवारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)